EDITORIAL

The Issue of Revival of BSNL

The issue of wage revision is now seriously linked with the issue of revival of BSNL. The recent guideline issued by DPE for the 8th round on 24th Nov, 2017 speaks about this condition. The wage revision for those PSUs for which the Government has approved a restructuring/ revival plan, will be done as per the provisions of the approved restructuring/revival plan only. This type of condition is not explicitly found in the DPE Guidelines issued for Executives. The DPE guidelines issued for Executives speaks about Sick industries only.

Satish Chandra committee and the DPE guidelines on the basis of its recommendations do not specify anything for the incipient sick units. But in the case of Non executives the question of revival of incipient sick unit is linked with the question of wage revision. Earlier the institutions like BIFR/BRPSE were all there to study about the health of PSUs and to recommend the Government the proper package for sick units and revival plan for those PSUs which can be restructured. The BJP Government headed by Shri Modi has dismantled the BRPSE and entrusted the task of monitoring the PSUs to the concerned administrative ministries.

As per the instructions of the Government, broader guidelines were issued by DPE on 29-10-15 for streamlining the mechanism for restructuring / revival or closure of sick or incipient sick CPSEs. This guideline empower the administrative ministry , in the public interest, prepare a revival or restructuring plan for a CPSE which may involve comprehensive restructuring, disinvestment, closure etc of the sick and incipient sick CPSE and take it directly to the competent authority for appropriate decision.

The administrative ministry shall, at the end of the each financial year, analyse the performance of its CPSEs to classify them by a specific order within 6 months of the closure of the financial year. The administrative ministry shall initiate the process for preparation of restructuring/ revival plan, which may include disinvestment or privatization or closure options, for sick / incipient sick CPSEs and the same, should be prepared within 9 months.

A CPSE would be considered incipient sick if it meets one of the following criteria:

a. If its net worth is less than 50% of its paid-up capital in any financial year.

b. If it had incurred losses consecutively for three years.

As per the above criteria BSNL comes under the category of Incipient Sick Unit. As per the 14th Finance commission BSNL comes under Priority sector though not in the 'Higher priority' category. This aspect and the strategic importance of BSNL should be taken care of while preparing revival plan by the ministry.

After all these DPE guidelines, the question before us is whether DOT is preparing any revival plan to place the same for the approval of Government. If so what is that plan ?. The plan cannot be for closure as NFTE has got a reply from NITI Aayog and PM office that as on date there is no such proposal for closure of BSNL. Then what is in the road map. It is the duty of BSNL and DOT to clarify the same to the Unions and Associations as the future of the employees are very much linked with that.

Earlier DOT reported to the parliamentary committee that refund of spectrum charges to BSNL and MTNL, notional loan waiver, and pension liability to MTNL all part of revival process. Even BSNL and MTNL merger was thought of as one of the steps but a caution was given to take the experience of merger of AirIndia and Indian Airlines. DOT has informed the parliamentary committee that since the CPSEs are loss making, steps are being taken as per the DPE guidelines. The parliamentary committee report published during August 2017 expressed its desire that DOT should prepare a final concrete action plan/proposals for the revival of BSNL and MTNL and place the same before the competent authority for approval at the earliest. The issue of 78.2 for MTNL is now made as part of revival process by DOT. DOT has set up an internal committee for the same.

In this scenario it is our bounden duty to bring the concerned BSNL and DOT to the negotiating table with utmost transparency. BSNL is replying to the striking employees that the management is taking initiatives for non executive wage revision as they received the guidelines for negotiations with workmen. The question is whether the management is ready for any negotiated agreement for 15 % with new pay scales with the non executive unions and submits the same to DOT as it claims in the case of Executives. The road to wage revision may be a difficult task but not an impossible one, if appropriate strategy for struggles and dialogue is found by one and all.

संपादकीय

बीएसएनएल के पुनरूद्धार के मुद्दे

वेतन संशोधन का मुद्दा अब बीएसएनएल के पुनरूद्धार के मुद्दे से गंभीरता से जुड़ा हुआ है। 24 नवंबर 2017 को डीपीई द्वारा जारी 8वें दौर के वेतन वार्तालाप के दिशानिर्देश इस स्थिति के बारे में प्रकाश डालता है। जिन पीएसयू के लिए सरकार ने पुनर्गठन/पुनरूद्धार की योजना को मंजूरी दे दी है, उस पीएसयू का वेतन संशोधन उन पुनरूद्धार योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार की शर्त स्पष्ट रूप से कार्यकारी अधिकारियों के लिए जारी डीपीई के दिशानिर्देशों में नहीं है। उन निर्देशों में केवल बीमार पीएसयू के बारे में चर्चा की गयी है।

सतीश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर डीपीई ने जो दिशा–निर्देश जारी किये है वह इनसिपियन्ट (संभावित) विभार इकाइयों के बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन नॉन – एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों का वेतन संशोधन का मामला इनसीपींयट सिक इकाइयों से जुड़ा हुआ है। पहले बीआइएफआर/बीआरपीएसइ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में अध्ययन करने और बीमार इकाइयों के लिए उचित सुझाव और उन सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के लिये पुनरूद्धार योजना सिफारिश करते थे। श्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली भाजपा की सरकार ने बीआरपीएस संस्थान को बरखास्त करके यह कार्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सौंपा।

सरकार के निर्देशों के अनुसार बीमार या इनसीपींयट सिक सीपीएसई के पुर्नगठन/पुनरूद्धार या बंद करने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए 29.10.2015 में डीपीई द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गए थे। यह दिशा–निर्देश प्रशासनिक मंत्रालय को सार्वजनिक हित में सम्पन्न बनाना है और यह घाटे मे चलने वाली कंपनियों के व्यापक पुनर्गठन, विनिवेश और समापन के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास सीधे ले जा सकते हैं।

प्रशासनिक मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अपने सीपीएसई के प्रदर्शन का विशलेषण करके उसे वर्गीकृत करेगा।

प्रशासनिक मंत्रालय घाटे में चलने वाली सीपीएसई के लिए पुर्नगठन/पुनरूद्धार या समापन योजन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जो 9 महीनों के भीतर तैयार किये जानी होगी।

क) सीपीएसइ को निम्न मानदंडों में से अगर एक भी मिलता है तो वह इनसीपींयट सिक माना जाएगा।

अ) अगर किसी भी वित्तीय वर्ष में उसका निवल मूल्य उसके पेड–अप पूंजी से 50% कम हो।

आ) यदि यह लगातार तीन साल तक घाटे में हो।

उपरोक्त मानदंडो के अनुसार बीएसएनएल इनसिपियन्ट सिक श्रेणी में आता है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार बीएसएनएल महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है और यह बात मंत्रालय द्वारा पुनरूद्धार योजना करते समय इसका महत्व ध्यान में रखना चाहिए।

सभी डीपीई के दिशा–निर्देश के बाद हमारे सामने यह सवाल है कि, क्या DOT, सरकार की मंजूरी के लिए कोई पुनरूद्धार योजना तैयार कर रहा है, यदि हाँ है तो यह योजना क्या है। हमें पूर्व मे नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय से उत्तर मिल गया है कि बीएसएनएल को बंद करने की कोई भी योजना नहीं है। तो सवाल यह है कि पुनरूद्धार को रोडमैप क्या होगा। यह सवाल कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण बीएसएनएल और डीओटी का यह कर्तवय है कि यूनियनों और एसोसिएशनों को इसके बारे में स्पष्ट बताए।

इसके पहले डीओटी ने संसदीय समिति को यह बताया था कि स्पेक्ट्रम शुल्क की वापसी बीएसएनएल की नेशनल लोन की माफी और एमटीएनएन की पेंशन देयता यह सब पुनरूद्धार की प्रक्रिया है।

यहाँ तक विचार किया गया था कि एमटीएनएल और बीएसएनएल का विलय होना था लेकिन एयर इंडिया और

इंडियन एयर लाइस का अनुभव ध्यान में रखते हुए उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। डीओटी ने संसदीय समिति को यह सूचित किया है कि सीपीएसई घाटे में चलने के कारण डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार कदम उठाये जा रहे है।

अगस्त 2017 में प्रकाशित संसदीय रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बीएसएन और एमटीएनएल के बारे में डीओटी को एक पुनरूद्धार के लिए ठोस योजना/प्रस्ताव तैयार करके सक्षम अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखनी चाहिये। एमटीएनएल के लिए 78.2 का मुद्दा अब डीओटी द्वारा पुनरूत्थान प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है और डीओटी ने इसके लिए एक आतंरिक समिति की स्थापना की है।

इस समय बीएसएनएल और डीओटी को पूर्णतया पारदर्शिता के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य करना हमारा कड़ा दायित्व है। बीएसएनएल प्रशासन हमें यह कह रहा है कि नॉन–एक्जुक्युटीव कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के लिए पहल कर रहा है क्योंकि उन्हें कामगारों के साथ वार्ता करने के लिए दिशा–निर्देश जारी हुआ है। सवाल यह है कि क्या प्रबंधन अधिकारियों के मामले में दावा करता है वैसा ही 15% फिटमेंट के साथ नॉन–एक्इक्युटीव कर्मचाारियों का नया वेतनमान का समझौता करके डीओटी को भेजने के लिए तैयार है। अगर कामगारों का वेतन संशोधन का मार्ग अगर उचित रणनीति के साथ संघर्ष की जाय तो मुश्किल नहीं है।